दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

सं.Ref.No.: स्था.Estab.II(i)/2013/______

दिल्ली Delhi, the 13th मार्च March, 2013

अधिसूचना NOTIFICATION

डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र की सदस्यता लेने अथवा डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र के अभिलेखों में परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने/हटाने के लिए आवेदन करने हेतु सूचित किया जाता है कि यह सभी संबंधित कर्मचारियों (सेवारत/सेवा–निवृत्त) के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी सेवा का विवरण और परिवार के सदस्यों का विवरण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संबधित स्थापना शाखा द्वारा विधिवत् सत्यापित कराएं। उसके अभाव में डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र उनकी सदस्यता अथवा परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने/हटाने के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

It is notified that for applying to the membership of W.U.S. Health Centre or addition/deletion of family member details in W.U.S. Health Centre records, it is mandatory for the employee concerned (Serving/Retired) that his/her service details and family members details are duly verified by the respective Establishment Branch of the University/College. In absence of the same, the request of membership or addition/deletion of family member shall not be entertained by W.U.S. Health Centre.

2. डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र की सदस्यता की पात्रता समय-समय पर संशोधित भारत सरकार, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार है। सदस्यता की सामान्य पात्रता अधिसूचना के संलग्नक में दी गई है। विस्तृत जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए प्रासंगिक सरकारी नियमों का संदर्भ लिया जा सकता है।

Eligibility of membership of W.U.S. Health Centre is as per Government of India, CS (MA) Rules, 1944, as amended from time to time. General eligibility of membership is given in the Annexure to the Notification. For detailed information/clarification, relevant Government rules may be referred.

3. डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र और संबंधित स्थापना अनुभाग उपर्युक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

W.U.S. Health Centre and respective Establishment Section shall ensure strict compliance of the same.

........2/-

4. उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र एवं संबंधित स्थापना अनुभाग विश्वविद्यालय प्राधिकारी को सूचित करते हुए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संबंधित स्थापना अनुभाग से परामर्श करके सभी मौजूद डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केंद्र सदस्यता की बाकायदा समीक्षा करने में सतर्कता रखेगा।

Any deviation from aforesaid shall be viewed seriously and shall attract disciplinary action in terms of relevant University Rules. W.U.S. Health Centre and respective Establishment Section shall exercise due vigilance by systematically reviewing all existing W.U.S. Health Centre memberships in consultation with the respective Establishment Sections of the University/College under intimation to University Authority.

अलका शर्मा

कुलसचिव REGISTRAR

सभी अधिष्ठाता, संकाय The Deans of Faculties/

सभी विभागाध्यक्ष Head of the Departments/

सभी महाविद्यालय के प्राचार्य Principal of all Colleges/

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली/नई दिल्ली

के अधिकारियों/शाखा प्रभारी

Officers/Branch Incharge of the
University of Delhi, Delhi/New Delhi

संलग्नक ANNEXURE

सामान्य शर्तेंGeneral Conditions.-

केंद्रीय सेवा(चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944के प्रयोजन हेतु **"परिवार"** का तात्पर्य है सरकारी कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जैसा भी हो, और माता-पिता, बहनें, विधवा बहनें, विधवा पुत्री, अवयस्क भाई, संतान, सौतेली संतान, तलाकशुदा/पति से अलग हुई पुत्रियां एवं सौतेली माता जो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों ।

The term 'family' for the purpose of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944, shall mean a Government Servant's wife or husband, as the case may be, and parents, sisters, widowed sisters, widowed daughters, minor brothers, children, stepchildren,divorced/separated daughters and stepmother **wholly dependent** upon the Government servant.

आश्रित पुत्र/पुत्री की आयु सीमा निम्नानुसार हो :

Age-limits of dependant son/daughters are as under:

(i)	पुत्र Son	जब वह अपनी कमाई शुरू कर दें अथवा 25 वर्ष आयु अथवा विवाहित होने पर, जो भी पहले हो Till he starts earning or attains the age of 25 years or gets married, whichever is earlier.
(ii)	पुत्री Daughter	जब वह अपनी कमाई शुरू कर दें अथवा विवाहित होने पर,बिना आयु सीमा के,जो भी पहले हो Till she starts earning or gets married, irrespective of age-limit, whichever is earlier.
(iii)	किसी भी प्रकार(शारीरिक अथवा मानसिक) की स्थायी नि:शक्तता से पीड़ित पुत्र Son suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental)	कोई आयु सीमा नहीं Irrespective of age limit
(iv)	आश्रित तलाकशुदा पुत्री/ जो अपने पति द्वारा छोड़ दी गई हो अथवा अलग हो गई हो, विधवा पुत्री और आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा/अपने पति द्वारा छोड़ दी गई हो अथवा अपने पति से अलग हो गई हो / विधवा बहनें Dependent divorced/ abandoned or separated from their husband/ widowed daughters and dependent unmarried/ divorced/ abandoned or separated from their husband/ widowed sisters	कोई आयु सीमा नहीं Irrespective of age limit
(v)	अवयस्क भाई Minor brothers(s)	वयस्क होने की आयु तक Up to the age of becoming a major